कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठां0क्र0 B/1936 /एक–15–1/96 शिवपुरी, दिनांक 29 /06/2021

प्रतिलिपि यथाआदेश :–

श्री अजय रामावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर आपके न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 818, दिनांक 28.06.2021 से माह जूलाई–2021 हेतु रिमाण्ड डयूटी ओदश मान्नीय जिला जज महोदय के अनुमोदन उपरांत मूलतः सादर प्रेषित।

संलग्न :– रिमाण्ड डयूटी आदेश मूलतः।

29/6/2021

प्रशासनिक अधिकारी
कार्या0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

।। न्यायालय : अजय रामावत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.।।

क्रमांक– 818 /2021 शिवपुरी दिनांक– 28.06.2021

–:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::–

मैं अजय रामावत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी धारा–14 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जुलाई–2021** में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाता हूँ :–

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	जुलाई –2021 के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री पवन शंखवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	04-07-2021
2.	श्री उमेश भगवती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	11-07-2021
3	सुश्री नेहा सावनेर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	17-07-2021
4.	सुश्री अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	18-07-2021 21-07-2021
5.	सुश्री नेहा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	25-07-2021
6	सुश्री आरती रजोतिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस।	कोलारस	04-07-2021 11-07-2021 17-07-2021

28/6/2021

(अजय रामावत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म.प्र.)

7	श्री अनुरागसिंह कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस।	कोलारस	18-07-2021 21-07-2021 25-07-2021
8	श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	करैरा	04-07-2021 11-07-2021
9	श्री मोहित श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	करैरा	21-07-2021 25-07-2021
10	श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	करैरा	17-07-2021 18-07-2021
11	श्री दिनेश सिंह राणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	पिछोर	04-07-2021 11-07-2021 17-07-2021
12	श्रीमती रानो बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर।	पिछोर	18-07-2021 21-07-2021 25-07-2021
13	श्री मुकेश सिंह चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना।	खनियाधाना	04-07-2021 11-07-2021 17-07-2021 18-07-2021 21-07-2021 25-07-2021
14	श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी।	पोहरी	04-07-2021 11-07-2021 17-07-2021 18-07-2021 21-07-2021 25-07-2021

नोट :—

01. यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का

28/6/21
(अजय रामावत)
मुख्य न्यायिक ...

अवकाश आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।

02. यदि माह **जुलाई 2021** में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बावत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन सुश्री नेहा सावनेर, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा, न्यायालय कोलारस में श्री सुश्री आरती रतोनिया, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस के द्वारा, न्यायालय करैरा में श्री मोहित श्रीवास्तव, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में श्रीमती रानों बघेल, जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियाधाना में श्री मुकेश सिंह चौहान जे0एम0एफ0सी0 खनियाधाना के द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।

03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2021 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।

05. जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन किया जाना है, वह उक्त कार्य हेतु अपने न्यायालय के दो सक्षम कर्मचारी जो कि, शीघ्रता से कार्यवाही का निष्पादन कर सकें, उन्हें कार्य के दौरान उपस्थित होने के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करके उनके सहयोग से कार्य का निष्पादन कर सकेंगे।

06. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा।

07. उक्त अवधि में समस्त मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं पक्षकारगण न्यायालय में आकस्मिक कार्य हेतु उपस्थित होने पर निम्नलिखित नियमों का पालन करेंगे:

(क) सभी मजिस्ट्रेट/अधिवक्तागण/कर्मचारीगण/पक्षकारगण न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर एवं अपने हाथों को साबुन से धोकर अथवा सेनेटाईज करने के उपरांत ही प्रवेश करेंगे।

(ख) मजिस्ट्रेट/अधिवक्तागण/कर्मचारीगण/पक्षकारगण शासन के निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखेंगे।

(ग) सभी मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादन करेंगे। यदि

28/6/21
(अजय रामावत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म.प्र.)

किसी तकनीकी कारणवश वीडियो कॉफ्रेंसिंग नहीं हो रही है तो न्यायालय में उपस्थित होते समय सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजेशन का कड़ाई से पालन करेंगे।

अनुमोदित

28/6/2021

अजय रामावत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.।

28/6/2021
Distt. & Session Judge
Shivpuri (M.P.)

पृष्ठांकन क्र0 837/2021 दिनांक 30-06-2021

प्रतिलिपि :—

1. श्री पवन कुमार शंखवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
2. सुश्री अर्चिता गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
3. श्री उमेश भगवती, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
4. सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
5. सुश्री अपेक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
6. सुश्री नेहा प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
7. श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
8. श्री मोहित श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
9. श्री दयालसिंह सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
10. श्री दिनेश सिंह राणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर
11. श्रीमती रानो बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर
12. श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी
13. सुश्री आरती रनोतिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस
14. श्री अनुरागसिंह कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस।
15. श्री मुकेश सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना
    की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
16. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी/करैरा/पिछोर/पोहरी/कोलारस/खनियाधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
18. निज सहायक न्यायालय मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अजय रामावत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.

(अजय रामावत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म.प्र.)